अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास. अनुभाग-5)

प. 27 (257) ग्राविवि/अनु-5/जीकेएन/प्रशिक्षण/2015-16 जयपुर दिनांक 5 अक्टूबर, 2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

विषय :- दिनांक 15-16 अक्टूबर 2015 को जिला स्तर पर ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015, भाग-1 का प्रशिक्षण आयोजित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- विभागीय परिपत्र संख्या 17/2015 दिनांक 18.08.2015 (पत्र क्रमांक एफ 4(10) पराविं/पी.पी/जीकेएन/2015 दिनांक 18.08.2015)

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न योजनाओं के निर्माण/विकास कार्यो के समुचित रुप से निष्पादन हेतु विभाग द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 भाग 1 प्रासागिंक पत्र द्वारा जारी की जा चुकी है। निर्देशिका के प्रभावी कियान्वन के कम में जिला स्तर के अधिशाषी/अधीक्षण अभियंता एवं लेखा अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रुप में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2015 के पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों/कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर दिया जाना आवश्यक है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि :-

1. उपरोक्तानुसार प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा पंचायत समिति स्तर के सभी संवर्ग के अभियंतागण,लेखाकर्मी एवं निर्माण कार्यो से जुडे अन्य कार्मिक एवं विकास अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 15-16 अक्टूबर 2015 को आयोजित किया जावें। इस प्रशिक्षण में राज्य स्तर के नामित सम्बन्धित जिला प्रभारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।
2. इस के पश्चात् माह के तृतीय सप्ताह में पंचायत समिति स्तर पर सभी सरपंचगण, सचिव, कनिष्ठ लिपिक एवं रोजगार सहायको को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जाना सुनिश्चित किया जावें। इस प्रशिक्षण में भी सम्बन्धित जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।

3.10.15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्राविं

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रावि।
6. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
7. निजी सचिव, निदेशक, मिड डे मिल।
8. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
9. सम्बन्धित जिला प्रभारी अधिकारी (संलग्न सूची अनुसार)।
10. परियोजना निदेशक(मो. एवं मू.) ग्रामीण विकास को विभागीय वेब साईट (rdprd.gov.in) पर अपलोड कराने हेतु।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)